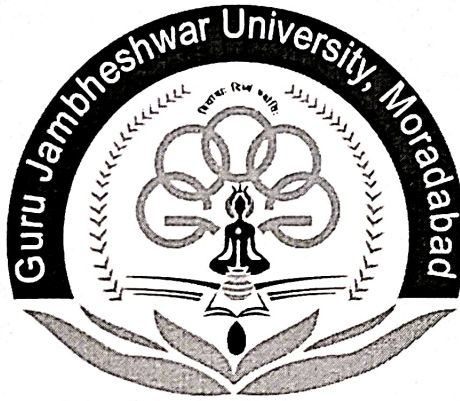


गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

परीक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश

वर्ष: 2025-2026

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट

परीक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देश आदि

- 1-कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षा कक्षा हाल से बाहर नहीं जाएगा।
- 2-यदि परीक्षा केंद्र पर संयुक्त महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र भी निर्धारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के स्टाफ को भी कक्ष परिप्रेक्षक के रूप में ड्यूटी करने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार से नियुक्त किए गए कक्ष परिप्रेक्षक की ड्यूटी उन कक्षा हाल में नहीं लगाई जाएगी जहां पर इन महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।
- 3-परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अवधि में प्रबंध तंत्र का कोई भी पदाधिकारी सदस्य परीक्षा केंद्र पर उपस्थित न होने पाए इसे सुनिश्चित कर लिया जाए। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अवधि में महाविद्यालय के प्रबंधक अध्यक्ष अथवा सदस्य उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति प्रमाणित होने पर केंद्र को संदिग्ध श्रेणी में अंकित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- 4-परीक्षा केंद्र के अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए की विश्वविद्यालय से सभी प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं यदि नहीं हुए हैं तो उसकी सूचना तत्काल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5-परीक्षा नियंत्रण कार्यालय नोडल केंद्र, संकलन केंद्र आदि द्वारा पूर्ण विवरण अधिकृत रजिस्टर में अवश्य ही रखा जाए जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर महाविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 6-कृपया परीक्षा संबंधी समस्त दिशा निर्देशों, नियमों, आदेशों आदि से सभी संबंधित को अवगत करा दे जो परीक्षा संचालन में योगदान कर रहे हैं यदि ऐसी अवस्था आ जाए जिससे नियम स्पष्ट ना हो तो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दूरभाष पर वार्ता करके तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 7-किसी भी ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दे जिसे अनुक्रमांक आवंटित नहीं हुआ हो। यदि न्यायालय के आदेश से कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसे छात्र की परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को पूर्ण विवरण तथा की प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्टसे भेजें।
- 8-किसी परीक्षार्थी परीक्षा जय अथवा अस्पताल में नहीं कराई जा सकती है जब तक ऐसा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं निर्गत किए गए हो।
- 9-कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट पर परीक्षार्थी के अनुक्रमांक को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अंकित करा दिया जाए।
- 10-यदि परीक्षा केंद्र पर अलग-अलग विषयों की परीक्षा है तो अनिवार्य रूप से सीटिंग प्लान इस प्रकार से तैयार किया जाए कि किसी भी परीक्षार्थी के आगे, पीछे, अगल और बगल में उसी विषय/प्रश्न पत्र का परीक्षार्थी न बैठा हो।
- 11-परीक्षा कक्ष, हाल में प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
- 12-परीक्षा कक्ष, हाल में सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
- 13-परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में अस्थाई मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
- 14-महिला और पुरुष मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था अलग-अलग सुनिश्चित कर ली जाए।
- 15-परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

- 16-परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में योगदान करने वाले कक्षा/परिप्रेक्षकों एवं अन्य स्टाफ के लिए समुचित व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाए।
- 17-परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों, परीक्षा में योगदान करने वाले कक्षा परिप्रेक्षकों एवं अन्य स्टाफ के लिए स्वच्छ एवं शीतल जल की समुचित व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाए।
- 18-परीक्षा नियंत्रण कक्ष में परीक्षा प्रश्न पत्रों के बंडल पैकेट को सुरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए।
- 19-प्रश्न पत्रों के शील्ड बंडल/पैकेट को कम से कम दो कक्षा परिप्रेक्षकों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर करने के उपरांत केंद्र अध्यक्ष/वरिष्ठ केंद्र अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत ही सील को हटाएंगे। सील हटाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिन शील्ड बंडल/पैकेट को खोला जा रहा है वह इस परीक्षा से संबंधित हैं जिसकी परीक्षा उस समय होने जा रही है। प्रश्न पत्रों के शील्ड बंडल पैकेट लिफाफे इस प्रकार से खोले जाए की अंत तक सील न टूटने पाए।
- 20-कृपया प्रश्न पत्रों के वितरण होने के बाद परिप्रेक्षकों के माध्यम से यह निश्चित कर लें कि सभी परीक्षार्थियों को सही प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं। यह अत्यंत ही आवश्यक है।
- 21-परीक्षा काल में घंटी निर्धारित समय पर ही बजाय जाना सुनिश्चित करें।
 -परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व अनवरत ध्वनि से घंटी बजाई जाएगी।
 -पेपर प्रारंभ होने के समय पर घंटी बजाई जाएगी।
 -60 मिनट पूर्ण होने पर घंटी बजाई जाएगी।
 -90 मिनट पूर्ण होने पर घंटी बजाई जाएगी।
 -परीक्षा समाप्ति से 5 मिनट पूर्व घंटी बजाई जाएगी।
 -परीक्षा समाप्ति पर अनवरत घंटी बजाई जाएगी।
- 22-प्रश्न पत्रों के वितरण से पूर्व लिफाफे के प्रश्न पत्रों की गिनती करके देख ले कि उसकी संख्या उतनी ही है जितनी लिफाफे के ऊपर अंकित है तथा प्रश्न पत्र को पढ़कर देख लें कि की यह वही प्रश्न पत्र है जिसकी परीक्षा होने जा रही है विसंगति मिलने पर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को सूचित करें।
- 23-प्रश्न पत्र के शील्ड पैकेट/बंडल को खोलने की कार्यवाही वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे में की जानी अनिवार्य है।
- 24-यदि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सामग्री लेकर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि के पहुंचने पर कोई अधिकृत कार्मिक सामग्री प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं रहता तो महाविद्यालय परीक्षा सामग्री विश्वविद्यालय से प्राप्त करेगा, जिसका व्यय महाविद्यालय वहन करेगा।
- 25-परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन पाली वाइज परीक्षार्थियों द्वारा प्रयोग की जा रही उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर परीक्षा कक्ष हाल में ही परीक्षा केंद्र के कोड की सील लगाई जाएगी।
- 26-परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर प्रभावी रोक लगाने हेतु यथोचित उपाय किया जाए।
- 27-यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन प्रयोग प्रयास करता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसे परीक्षार्थी को दूसरी उत्तर पुस्तिका देकर परीक्षा देने दिया जाए उत्तर पुस्तिकाओं पर निम्नवत मोहर लगाई जाए -
 अ- अनुचित साधन प्रयोग (पहली उत्तर पुस्तिका पर)
 ब - नवीन उत्तर पुस्तिका (दूसरी उत्तर पुस्तिका पर)

तथा संबंधित परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका के साथ उसका वक्तव्य कक्ष निरीक्षक तथा केंद्र अध्यक्ष रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप के साथ अवैध सामग्री जिस पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर तथा केंद्र की मोहर लगी हो सील बंद करके अलग पैकेट में पंजीकृत डाक से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित की जाए।

28-परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम करना केंद्र अध्यक्षों/वरिष्ठ केंद्र अध्यक्षों की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है इस दिशा में उनका ही नेतृत्व करना है परीक्षा को नकलविहीन आयोजित करने हेतु केंद्र अध्यक्ष/वरिष्ठ केंद्र अध्यक्ष अपने स्तर से आंतरिक उड़ाका दल के साथ अपने केंद्र पर प्रत्येक पाली में कम से कम दो बार कक्षों का निरीक्षण करेंगे।

29-विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका/सचल दल के परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर उनका सहयोग किया जाए और सफल परीक्षा संचालन में योगदान करें।

30-परीक्षार्थियों से परीक्षा कक्ष हाल में कोई वार्ता न की जाए।

31-कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट से पूर्व परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जा सकेगा।

32-प्रश्न पत्रों के लिफाफे खोलने में अनावश्यक जल्दबाजी न करें प्रश्न पत्र खोलने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित कर ले कि उसी दिन होने वाला प्रश्न पत्र ही खोला जा रहा है यदि परीक्षा केंद्र की गलती से कोई अन्य प्रश्न पत्र का पैकेट खुल जाता है और उसे प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त होती है तो उसे पुनः संपन्न कराने में आने वाला व्यय उस केंद्र को वहन करना होगा इसके अलावा अन्य यथोचित एवं विधिक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा सकती है।